राजस्व लोक अदालत कैम्प बलाई, न्याय आपके द्वार

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव, जिला बाडमेर

वादगण :–

1. बाबुसिंह 2. किरतसिंह 3. बाईराजकंवर 4. उगमकंवर पि0 चेनसिंह, जाति राजपूत, निवासी बलाई, तह0 शिव, जिला बाड़मेर

प्रतिवादी :–

चेनसिंह पुत्र भैरसिंह, जाति राजपूत, निवासी बलाई, तह0 शिव, जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 रा0 का0 अधि0। राजस्व वाद संख्या :– 169/2018

दिनांक	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
28.06.2018	वदीगण ने उक्त वाद इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी की पैतृक खातेदारी भूमि मौजा बलाई तह0 शिव की ख0 न0 535/89 व 330/104 रकबा 12.00 व 50.00 बीघा भूमि, मौजा फतेहनाडा तह0 शिव की ख0 न0 550/435 रकबा 126.11 बीघा में अवस्थित है। वादीगण जाति से राजपूत होने से हिन्दु विधि से शासित होते हैं और हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार दादा की सम्पति में उसके पोतें – पोतियों का जन्मतः अधिकार होता है। चूंकि प्रतिवादी, वादीगण के पिता है एवं उन्हे वादग्रस्त भूमि की खातेदारी उनके पिता से विरासत में प्राप्त हुई थी। अतः वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर उनकी पैतृक सम्पति होने से जन्मतः हक है। वादीगण के दादा भैरसिंह के फौत होने पर उक्त भूमि प्रतिवादी चेनसिंह अकेले के नाम दर्ज हुई और बावजूद हक के वादीगण वादग्रस्त भूमि की खातेदारी से वंचित रह गये। अतः वादीगण ने स्वयं को वादग्रस्त भूमि का सहखातेदार घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है। वाद पंजीयन कर उसमें अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में मजमे आम में उपस्थित ग्रामीणों से पूछताछ की गई। प्रतिवादी ने इकबाली जवाब प्रस्तुत कर वाद में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए अपने साथ वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की चालू जमाबन्दीयां, नजरी नक्शा, खतौनी बंदोबस्त एवं ग्राम पंचायत बलाई द्वारा जारी वारीस प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया। पक्षकारान के बयान कलमबद्ध किये गये। हमने दोनों पक्षों को वाद के तथ्यों पर सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। वादीगण, प्रतिवादी के विधिक वारीसान हैं तथा उनका वादग्रस्त भूमि पर कब्जाकाश्त है। मजमे आम में की गई पूछताछ एवं तहसीलदार शिव की रिपोर्ट से वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर लगातार कब्जा होना तथा वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होना पुष्ट होता है। मौखिक साक्ष्यों के अभिकथनों से पक्षकारान का वादग्रस्त भूमि में 1/5 – 1/5 हिस्सा होने की	

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned by CamScanner

पुष्टि होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा बलाई तह0 शिव की ख0 न0 535/89 व 330/104 रकबा 12.00 व 50.00 बीघा भूमि, मौजा फतेहनाडा तह0 शिव की ख0 न0 550/435 रकबा 126.11 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण को प्रतिवादी के साथ सहखातेदार करार देते हुए 1/5 – 1/5 हिस्सा प्रत्येक की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को बमुकाम कैम्प बलाई सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

(चन्द्रभानसिंह भाटी आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (ऐस.डी.ओ.)
शिव

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned by CamScanner